ांक एवं आदेश की तिथि	अपर उपायुक्त न्यायालय साहेबगंज **R.M.A** वाद सं०-17/2011-12	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३
17/12/22	चन्द्रशोखर दास पिता – स्व० अमोल दास,सा०– रसुलपुर दहला, साहेबगंज। बनाम् इन्द्रादेवी ,पति – स्व० मंगलदास, सा०– रसुलपुर दहला, साहेबगंज। चन्द्रशोखर दास – प्रथम पक्ष इन्द्रादेवी – द्वितीय पक्ष प्रस्तुत वाद प्रभारी खासमहाल पदाधिकारी, साहेबगंज के विविध वाद सं० – 09/2002, इन्द्रादेवी बनाम् चन्द्रशेखर दास खासमहाल पदाधिकारी के आदेश दिनांक – 06.01.10 को आदेश के विरूद्व दिनांक – 10.06.2010 को उपायुक्त साहेबगंज के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। उक्त अभिलेख उपायुक्त साहेबगंज के पत्र सं० 23/वि० दिनांक – 12.01.2012 द्वारा दिनांक – 27.01.2012 को अभिलेख अपर उपायुक्त न्यायालय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त वाद को अपर उपायुक्त वाद सं० – 17/2011–12 पंजीकृत करते हुए उभय पक्षों को नोटिस करने के वाद कार्यवाही प्रारंभ की गई। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस वाद में सुनवाई दिनांक – 06.08.2022 पुनः प्रारंभ की गई। विवादित भूमि मौजा छोटा बतौना ,खाता नं० 209/671 दाग सं० – 424 रकवा – 00–01–04 धूर से संबंधित है। खासमहाल पदाधिकारी, साहेबगंज के अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों को मेरे द्वारा गहन रूप से अध्ययन किया गया। प्रथम पक्ष का कहना कि विवादित भूमि खासमहाल के अर्न्तगत् आता है और इस जमीन का दाखिल खारिज बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से अंचलाधिकारी द्वारा कर दिया गया है। मो० परवतिया देवी का देहान्त 1939 में हो गया था , लेकिन 1943 मे दान पत्र दर्शोया गया है, दान पत्र सादे कागजात में है और रजिस्टर्ड नही किया गया है और न ही कोर्ट के द्वारा सम्पुष्ट है इसलिए म्यूटेशन का ऑर्डर अवैध और गलत है। राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा है कि विवादित भूमि खासमहाल क्षेत्र के अर्न्तगत् है और इस जमीन का लीज नही हुआ है। और न ही परमिशन लिया गया है। नियमानुसार खासमहाल जमीन सरकारी होती है और सरकारी जमीन का दाखिल – खारिज अंचलाधिकारी द्वारा नही किया जा सकता है।	

अंचलाधिकारी केवल रैयती जमीन का ही दाखिल–खारिज कर सकते है। द्वितीय पक्ष के दान पत्र से यह स्पष्ट है कि दान–पत्र सादे कागज में तैयार किया गया है। जिसपर स्टाम्प नही है। खासमहाल जमीन की लीज वन्दोवस्ती सरकार के द्वारा की जाती है, खासमहाल जमीन का स्वामित्व का हस्तानान्तरण नही होता है अर्थात लीज वन्दोवस्ती प्राप्त करने के उपरान्त भी उस भूमि का मालिकाना हक प्राप्त नही कर सकता है, बल्कि लीज अवधि तक उस भूमि का उपयोग कर सकता है। लीज अवधि समाप्त होने के पूर्व लीजधारी को पुनः लीज नवीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है।

खासमहाल भूमि को अंचल अधिकारी ,साहेबगेंज के द्वारा दान पत्र के आधार पर की गई जमाबंदी संदेहास्पद श्रेणी में है अतएव बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत् उक्त जमाबंदी को संदिग्ध मानते हुए कार्यवाई की जानी अपेक्षित है।

संबंधित वाद में अंचल अधिकारी ,साहेबगंज द्वारा संधारित की गई जमाबंदी रद्द् हाने योग्य है जबतक कि सक्षम प्राधिकार स्तर से 4 h की कार्यवाई कर इसकी अनुशंसा न कि जाय।

ऐसी स्थिति में दान–पत्र के द्वारा कोई भी व्यक्ति खासमहाल भूमि को हस्तानान्तरित नही कर सकता।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्षों को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

17/12/22

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

17/12/22

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

Digitally signed by BINAY KUMAR MISHRA
Date: 2023.01.11 13:44:51 +05:30
Location: 192.168.1.6